JANASANKHYA STHIRATA KOSH
(NATIONAL POPULATION STABILISATION FUND)

जनसंख्या स्थिरता कोष

(राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की पंजीकृत सोसाइटी

उत्तरदायित्वपूर्ण पितृत्व-मातृत्व पुरस्कार राजस्थान में क्यों?

- राजस्थान में 65% लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु होने तक हो जाना।
- किशोरावस्था में गर्भवती होने से माँ के स्वास्थ्य और बच्चे की वृद्धि एवं विकास पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। राजस्थान में एक सर्वेक्षण के दौरान 19% लड़कियों का 15-19 वर्ष की आयु में ही गर्भवती पाया जाना।
- राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 36% बच्चों (3 वर्ष से कम आयु वाले) का पूरा विकास न होना और 46% बच्चों का वजन कम पाया जाना।

चुंकि, माँ के स्वास्थ्य का प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है, इसलिए, माँ बनने से पहले उसका स्वास्थ्य अच्छा होना और उसे शिक्षित होना आवश्यक है।

जनसख्यां स्थिरता कोष ने 'प्रेरणा' नामक कार्यनीति प्रारंभ की है जो विशिष्ट उत्तरदायित्वपूर्ण पितृत्व-मातृत्व मानदंड पूरे कर चुके दंपत्तियों को पुरस्कार प्राप्त करने को अवसर प्रदान करती है।

प्रथम पुरस्कार समारोह का आयोजन गांव डावँरा, जिला-जोधपुर में किया जा रहा है। इस 'प्रेरणा' कार्यनीति कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

- लड़की की शादी 19 वर्ष की आयु के बाद (पुरस्कार 5000/-रू.)
- 21 वर्ष की आयु के बाद प्रथम प्रसव (पुरस्कार-बेटी होने पर 7000/- रू. और बेटा होन पर 5000/- रू.)।
- पहले और दूसरे बच्चे में 36 महीनें का अंतर तथा दूसरे बच्चे के जन्म के बाद माँ-पिता में से एक का बन्धीकरण (पुरस्कार 5000/-रू.)

इनमें से किसी एक या सभी शर्तों को पूरा करें और किसान विकास पत्र के माध्यम से पुरस्कार पाएं।
यह स्वस्थ एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है जिसका जनसंख्या स्थिरता कोष भरपूर समर्थन करता है।

"आप, आपका बेटा या आपकी बेटी भी एक आदर्श पत्नी-पति बन सकते हैं.........और जनसंख्या स्थिरता कोष का पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं।"